भारत सरकार/Government of India
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
Ministry of Finance, Department of Revenue
सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय
Office of the Commissioner of Customs (Preventive)
110 महात्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय
110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong – 793001, Meghalaya
Phone: 0364-2222597/2225325/2229005. फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई–मेल / E-mail: cusshg@gmail.com

सुविधा संख्या.04/2016

शिलांग 11 अगस्त 2016

विषय: अगरतला सीमा शुल्क चौकी; एकीकृत चेक पोस्ट (अगरतला), त्रिपुरा पर आयात निर्यात कार्गो के लिए अभिरक्षक की नियुक्ति

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 45(1), सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन 2009 में कार्गो की हैंडलिंग के प्रावधान, के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत भूमि पत्तन प्राधिकरण पहली मंजिल, बी. विंग, लोक नायक भवन खान मार्केट नई दिल्ली को एतद द्वारा सीमा शुल्क चौकी; एकीकृत चेक पोस्ट (अगरतला)पर प्राप्त की जाने वाली आयतित सामानों का अभिरक्षक उस समय तक नियुक्त किया जाता है जब तक उन सामानों का सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय –VIII के प्रावधानों के अनुरूप घरेलू खपत अथवा भंडारण अथवा यानांतरण के लिए निकासी नही की जाती है। इसी तरह, भारत भूमि पत्तन प्राधिकरण को भी भूमि पत्तन प्राधिकरण एकीकृत चेक पोस्ट, (अगरतला)पर लाई जाने वाली निर्यात कार्गो के भराई, लेखा-जोखा, सीमा शुल्क जांच, परिवहन और कार्गों के आगे के शिपमेंट हेतु सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अभिरक्षक होगी।

भारत भूमि पत्तन प्राधिकरण को अगरतला में सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदात्ता के अभिरक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया है, यह नियुक्ति इस सुविधा के जारी होने की तारीख से दो वर्षों की समयावधि लिए होगी और यह सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन 2009 के कार्गो हैंडलिंग के विनियमन 10 के अनुरूप होगी।

भारत भूमि पत्तन प्राधिकरण, पहली मंजिल, बी विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से आयात और नर्यात निमित्त वस्तुओं के अभिरक्षक के हैसियत से यह अपेक्षित है कि वह प्रासंगिक सीमाशुल्क अधिनियम 1962, के धारा 45(2) के प्रावधान एवं साथ ही समय-समय पर उपरोक्त विषय पर सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन जारी नियम, नियमन एवं अनुदेशों का पालन करें।

इस सुविधा के जारी होने के साथ सीमा शुल्क चौकी, अगरतला के पूर्व अभिरक्षक नियुक्तिकर्ता द्वारा दिनांक 07.11.2013 को जारी सुविधा को निरस्त समझा जाए।

बन्दना देवरी

(बंदना देवरी)
आयुक्त

Scanned by CamScanner

C.No.VIII/(48)21/CUS/TECH/CWC/2013/9114-30(A) दिनांक 11/08/2016

प्रतिलिपि

1- मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, शिलांग जोन, शिलांग।

2- आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर शिलांग/ गुवाहाटी/डिब्रूगढ़।

3- उपायुक्त/सहायक आयुक्त____________________ सीमा शुल्क (निवारक) प्रभाग (सभी)। आपसे अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले सभी निर्यातकों/आयाततकों को इससे अवगत करवाएं।

4- भारत भूमि पत्तन प्राधिकरण, प्रथम मंजिल, बी-विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली-110003

5- प्रबंधक, भारत भूमि पत्तन प्राधिकरण एकीकृत चेक पोस्ट अगरतला-790003

6- क्षेत्रीय प्रबंधक, केंद्रीय भंडारण निगम सप्तसवाहिद पथ, सरूमोटरिया, गुवाहाटी-781006

7- अधीक्षक कम्प्यूटर कक्ष, सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग। आपसे अनुरोध है कि इसे कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कराएं।

8- गार्ड फाईल

एस. चौधरी

(एस चौधरी)

अधीक्षक (तकनीकी)

Scanned by CamScanner